पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जानें

गिरफ्तारी और रोक

पुलिस सुधार : अति महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय

यह पुस्तिका **कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.)** द्वारा **गृह मंत्रालय** के लिए **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** नामक श्रृंखला के एक भाग के रूप में तैयार की गयी है।

सी.एच.आर.आई. एक अंतर्राष्ट्रीय, स्वतंत्र, गैर–लाभकारी, गैर–सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकारों को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानवाधिकार मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है और मानवाधिकार मानदंडों के अधिक अनुपालन की वकालत करता है। और अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.humanrightsinitiative.org को देखें।

अवधारणा	:	श्रीमति माजा दारूवाला
विषय वस्तु और अनुसंधान समन्वयक	:	डा. दोएल मुकर्जी
आलेख	:	सुश्री वसुधा रेड्डी
अनुसंधान दल	:	श्री अर्नव दयाल, श्री एस. चटर्जी
अनुवादक	:	श्रीमती शालिनी भूषण
आवरण अवधारणा और लेआउट/अभिकल्प	:	श्री रंजन कुमार सिंह और डॉ. दोएल मुकर्जी
रेखांकन	:	श्री सुरेश कुमार
सहायक कर्मचारी	:	सुभाष कुमार पात्र, पलनी अजय बाबू
मुद्रक	:	मैट्रिक्स, नई दिल्ली

दादाजी और 12 वर्ष के अर्जुन भीड़भाड़ वाले कमला नगर में रहते हैं, जहां काफी अपराध हुए हैं और पुलिस मुहल्ले में आती–जाती रही है। अर्जुन दादाजी से पुलिस के बारे में पूछता रहता है और जानना चाहता है कि वे क्या करते हैं। अचानक एक सुबह अर्जुन ने देखा कि पुलिस उस मुहल्ले में आयी और उस मुहल्ले के एक दुकानदार रामू काका को पकड़कर ले गयी।

रामू काका की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

''दादाजी, दादाजी, पुलिस रामू काका को पकड़कर अपने जीप में ले गयी है।'' उसने चिल्लाकर कहा।

''क्या, ऐसी बात है?'' समाचार–पत्र को नीचे रखते हुए दादाजी ने कहा, ''तुमने देखा वहां क्या हुआ? क्या उनके पास वारंट था?'' ''सारी घटनाएं काफी तेजी से हुई'', अर्जुन ने कहा। ''दो पुलिस वाले इंस्पेक्टर खान और हवलदार भान और रामू काका एक–दूसरे पर चिल्ला रहे थे कि अचानक उन्होंने उसे पकड़ा और उसे वैन में डाल दिया। रामू काका कहते रहे कि बिना वारंट के पुलिस को उसे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है।'' इंस्पेक्टर ने कहा, ''हमने तुम्हें अब

पकड़ा है और हमने यह सामान तुम्हारे घर से बरामद किया है'' और उन्होंने उसे कुछ दिखाया। रामू काका ने कहा कि मुझे नहीं मालूम यह क्या चीज़ है। आप मुझे नहीं पकड़ सकते।'' अर्जुन ने पूछा, **''दादाजी वारंट क्या होता है?''**

''बेटा वारंट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को अवश्य दिखानी चाहिए। सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही इस पर हस्ताक्षर कर सकता है। रामू काका अपने अधिकार को जानते हैं और यही कारण है कि वह कह रहे थे कि पुलिस को वारंट लाना चाहिए और वह उसे यूं ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है। परन्तु रामू काका यह भूल गए कि **कुछ ऐसा भी समय होता हैं जब पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है'',** दादाजी ने कहा।

''वह ऐसा कब कर सकती है?'' अर्जुन ने पूछा।

''पुलिस आठ भिन्न मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।''

''ये मामले कौन–कौन से हैं, दादाजी?''

आठ ऐसे मामलें हैं जिनमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है:

घर में सेंध लगाने का औजार ले जाने वाले व्यक्ति द्वारा स्पष्ट न करने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है

1. **जब किसी व्यक्ति के पास ऐसा औजार मिलता है या ले जाते हुए पाया जाता है, जिसे सेंधमारी में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि अर्गला, छड़, शीशा काटने की मशीन आदि** और जब पुलिस उससे पूछती है कि यह उसके पास कैसे आया तो **वह ठीक ढंग से यह नहीं बता पाता** है कि उसके पास यह कैसे आया। लेकिन मान लो पुलिस जानती हो कि मेरे पास लोहे का लंबा छड़ है और शीशा काटने वाली मशीन है और वह मुझसे पूछती है कि ये हमारे पास कैसे है तो मैं बता सकता हूं कि मेरे घर में निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन यदि मैं सड़क पर नकाब पहने काले बड़े बैग और एक अर्गल और शीशा काटने वाली मशीन और इसमें एक चाकू रखकर सड़क पर घूम रहा हूं और न तो मैं कोई मजदूर हूं और न ही ये सभी मेरे रोजगार से संबंधित उपकरण है तो मुझे अवश्य यह स्पष्ट करना चाहिए कि मैं इन समानों के साथ क्या कर रहा हूं। यदि वे मेरी बातों का विश्वास नहीं करते हैं तो वे मुझे इस संदेह पर गिरफ्तार कर सकते हैं कि हो सकता है कि मैं कोई गैर–कानूनी काम करना चाह रहा हूं।
2. **यदि किसी व्यक्ति ने किसी सम्पत्ति की चोरी की है,** ऐसा लगता है कि पुलिस रामू काका को थोड़ी देर पहले इसी कारण से गिरफ्तार कर ले गयी है। यदि चोरी का सामान तुम्हारे स्वामित्व वाले जगह में, तुम्हारे बैग में या गाड़ी में मिलता है तो पुलिस तुम्हें तुरन्त गिरफ्तार कर सकती है।
3. मुझे लगता है कि रामू काका ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का विरोध किया है। यदि **किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अवरोध डाला जाता है तो यह एक गंभीर अपराध है। तुम जानते हो कि एक नागरिक के रूप में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पुलिस की सहायता**

करो, गलत कार्य न करो बल्कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करो। अब मान लो मैं जानबूझ कर अपनी साइकिल को पुलिस की गाड़ी से टकरा देता हूं ताकि पुलिस उस चोर को न पकड़ सके जिसका वह पीछा कर रही है। चूंकि मैंने उन्हें रोका है, उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डाली है और इसलिए मैं गिरफ्तार किया जा सकता हूं।

4. मान लो **कोई व्यक्ति जो कानूनी तौर पर पुलिस हिरासत में है, भागने का प्रयास करता है या वास्तव में भाग जाता है** तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

5. कुछ ऐसे अपराध है जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी ये सभी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है या उस पर चोरी का संदेह है तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

6. यदि अदालत ने किसी व्यक्ति को दोषी करारा दिया है और वह व्यक्ति खुद को पुलिस को नहीं सौंपता है तो पुलिस उसकी तलाश कर सकती है और किसी वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकती है।

7. यदि कोई व्यक्ति निरन्तर जेल जाता और आता रहता है और जिसका नाम पुलिस की डायरी में दर्ज है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को **आदतन अपराधी करार करती है जिनके व्यवहार (चाल–चलन) में सुधार की आवश्यकता है। तुम जानते होंगे कि रामू काका अकसर पुलिस थाने आते–जाते रहते हैं और उनके दोस्त अक्सर देर रात निकलते हैं और सामान के साथ वापस आते हैं। बहरहाल यदि रामू काका का आपराधिक रिकार्ड है या वह आदतन अपराधी हैं तो अपने व्यवहार में सुधार**

लाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब कभी भी शहर में तनाव होता है पुलिस अक्सर ऐसा करती है वह सभी कुख्यात असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करती है ताकि वे शरारत न करे या दो समुदायों के बीच परेशानी पैदा करने की कोशिश न करें।

8. यदि किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा लगे कि वह सेना का भगोड़ा है तो पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, दादाजी ने बताया। ''अब तुम सारी बात समझ गए? क्या तुम्हे कोई और बात जाननी है?''

''लेकिन दादाजी क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिस पर उसे सन्देह हो?'' अर्जुन ने पूछा। ''नहीं बेटा! वह ऐसा नहीं कर सकती, यदि वह ऐसा कर सकती तो वह तुम्हें और मुझे सिर्फ यह कह कर गिरफ्तार कर सकती थी कि उन्हें हम पर संदेह है या फिर हम कुछ गलत हरकत कर सकते हैं। हम ऐसे नागरिक हैं जिनके पास अधिकार है। पुलिस हमारी सहायता और सुरक्षा के लिए है, उसे सिर्फ कानून के अनुसार और यह देखते हुए कि क्या उचित है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को उस व्यक्ति पर संदेह के पर्याप्त कारण होने चाहिए। यदि पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं है तो बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति नहीं है। कानून के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है और इस तरीके से थाने में किसी व्यक्ति को रोककर रखना **गैर–कानूनी गिरफ्तारी** है और इसके लिए पुलिस को दंडित किया जा सकता है।''

अर्जुन की बहन नीता जो कमरे में आयी थी काफी दिलचस्पी दिखा रही थी,

उसने दादाजी से पूछा, "**गिरफ्तारी कौन कर सकता है,** क्या सिर्फ पुलिस ही गिरफ्तारी कर सकती है? क्या मैं भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हूं?"

दादाजी हंसे, "यह एक अच्छा प्रश्न है नीता, **सिर्फ पुलिस ही एक मात्र व्यक्ति नहीं है जो गिरफ्तारी कर सकती है, यहां तक कि तुम और मैं या कोई भी नागरिक किसी भी घोषित अपराधी को या किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसने हमारी नजरों के सामने संज्ञेय अपराध और गैर–जमानती अपराध किया हो।"**

नीता काफी प्रसन्न दिखी, "बहुत अच्छा" उसने कहा, "अर्जुन सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी।"

अर्जुन ने तनकर कहा, "अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सदोष गिरफ्तारी के लिए तुम्हारे खिलाफ मामला दायर कर सकता हूं इसलिए बेहतर हो अच्छा कारण ढूंढो।" दादाजी मुस्कुराए और यह सोचकर खुशी–खुशी फिर अपना समाचार–पत्र पढ़ने लगे कि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल गया जो कि महत्वपूर्ण है।

उस घटना के एक सप्ताह के अंदर, जिसमें रामू काका शामिल थे, एक बार फिर पुलिस कमला नगर में आयी। इस बार वह विनीत की दुकान में आयी जो कि पी.सी.ओ./एस.टी.डी. ऑपरेटर है। जब पुलिस की जीप आयी और विनीत से कुछ दूरी पर रूकी तब वह अपने फोन बूथ के बाहर बैठा था। इंस्पेक्टर खान जीप से बाहर निकले और इमरान के पास गए, जिसकी टेलीफोन बूथ के ठीक बगल में पान की दुकान थी।

विनीत ने देखा कि इंस्पेक्टर खान इमरान से सिगरेट के कुछ पैकेट जबरन मुफ्त लेना चाह रहे थे। यह महसूस करते हुए कि इंस्पेक्टर खान इमरान के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं विनीत अपने दुकान से उठा और पान की दुकान पर आया और कहा, ''सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इमरान एक गरीब आदमी है और वह जीवनयापन के लिए मुश्किल से दिनभर में 50 रुपए कमा पाता है और इससे वह अपने पूरे परिवार को चलाता है। सर कृपया सिगरेट का पैसा दे दें और इस गरीब आदमी को भूखा मरने से बचाएं।''

इंस्पेक्टर खान, जो उपदेश सुनने के आदी नहीं थे, ने विनीत को घूरा और उस पर गुर्राया, ''तुम अपने आपको क्या समझते हो? क्या तुम अपने आपको इतना महत्वपूर्ण समझते हो कि तुम मुझे यह समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए? कि तुम एक पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकते हो? मैं तुम्हे बताऊंगा कि शिष्टता क्या होती है?'' उन्होंने विनीत को थाने ले जाने के लिए हवलदार भान को जीप से बुलाया।

अब तक वहां काफी लोग इक्ट्ठा हो गए थे। विनीत के विरोध के बावजूद पुलिस कर्मियों ने उसे गाड़ी में धकेला और उसे ले गए। वह दो दिन के बाद वापस कमला नगर आया, वह एक बिल्कुल बदला हुआ आदमी था, उसके कपड़े पूरी

तरह से फटे हुए थे, आंखें बुझी हुई थी और वह खांस रहा था।
वह दादाजी की सबसे बड़ी पोती नीता से बाजार में मिला।

''विनीत, मुझे इस घटना के बारे में पता चला। पुलिस ने तुम्हें कब छोड़ा? तुम ठीक तो हो.....क्या उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया?'' नीता ने जब उसे देखा तो वह भौंचक्की रह गयी।

''नहीं, नीता दीदी, सौभाग्यवश न तो उन्होंने मुझे मारा और न ही दुर्व्यवहार किया, परन्तु उन्होंने मुझे हाजत में बंद कर दिया और वहां दो दिनों तक रखा'', विनीत ने कहा। ''तुम क्या कह रहे हो, उन्होंने तुम्हें वहां दो दिनों तक रखा?'' नीता ने पूछा। **''पुलिस को बिना किसी वैध कारण के तुम्हें पकड़कर थाने ले जाने का कोई अधिकार नहीं है।''**

''अब यह मायने नहीं रखता दीदी।'' विनीत ने गहरी सांस ली ''अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।'' ''निःसन्देह यह मायने रखता है विनीत।'' नीता ने कहा ''दादाजी कहते हैं कि **बिना कोई केस दर्ज किए यदि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है या थाने में रखा गया है यह गैर–कानूनी गिरफ्तारी के रूप में जाना जाता है जो कि एक गंभीर अपराध है, तब तुम :**

1. **जिला पुलिस अधीक्षक या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिल सकते हो या उन्हें पंजीकृत डाक से शिकायत भेज सकते हो या**
2. **क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करा सकते हो या**
3. **उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को पत्र भेजकर न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हो और यदि न्यायालय शिकायत को उचित पाती है तो वह पत्र को एक रिट याचिका के रूप में ले सकती है।**
4. और यदि हमारे राज्य में कोई **राज्य मानवाधिकार आयोग** है तो हम वहां

एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं या तुम **नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** को डाक से पत्र भेज सकते हो या अपने पी.सी.ओ. बूथ से फैक्स कर सकते हो।''

''दीदी, मुझे लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं'', विनीत ने कहा। ''क्या तुम मुझे शिकायत पत्र लिखने में मदद कर सकती हो।'' ''मैं अवश्य मदद करूंगी। हमें यह काम अभी तुरन्त करनी चाहिए।'' नीता ने कहा।

जैसे ही दोनों विनीत के पी.सी.ओ. बूथ के तरफ बढ़े, विनीत ने कहा, ''तुमने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने रामू काका को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें कोशिश करनी चाहिए था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सके उन्हें वैसा ही विरोध करना चाहिए जैसा मैंने किया।'' ''विनीत बेवकूफी मत करो, पुलिस को रामू काका को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार था क्योंकि उन्हें उनके घर से चोरी का सामान मिला था। उस दिन उन्होंने पूरे कानून का अनुपालन किया था और इसीलिए तुम्हारी गिरफ्तारी के विपरीत रामू काका भी गिरफ्तारी वैध थी'', नीता ने कहा। उसने आगे कहा, **''और जहां तक विरोध की बात है तुम बेहतर जानते हो तुम्हें गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानून द्वारा सभी अनिवार्य साधन के उपयोग की अनुमति है और इसमें बल का प्रयोग भी शामिल है।''**

''दीदी, मुझे यह नहीं मालूम था, क्या कोई और बात है जो मुझे जाननी चाहिए?'' विनीत ने कहा।

''ठीक है, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूं, वह यह कि **तुम्हें किसी पुलिसकर्मी को न तो अपना नाम और पता बताने से इंकार करनी चाहिए और न ही तुम्हें अपना नाम और पता गलत बतानी चाहिए। इसके लिए पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन याद रखो तुम्हें अपना नाम और पता तभी बतानी चाहिए जब तुम्हे यह विश्वास हो जाए कि वह वास्तव में पुलिस अधिकारी है?''** नीता ने कहा।

''ठीक है दीदी, अब मैं समझ गया।'' विनीत ने कहा। ''अच्छा है'', नीता ने कहा। अब हम पत्र लिखना शुरू करें।

जब नीता विनीत को शिकायत पत्र लिखने में उसकी मदद कर चुकी तो उन्हें घर के दरवाजे पर एक दस्तक सुनायी दी। यह आवाज मैरी की थी, जिसकी कमला नगर में दर्जी की एक छोटी सी दुकान है। वह विनीत को कुछ कुर्ता देने आयी थी। जिसे उसने सिला था। जब नीता दोनों के लिए चाय बना रही थी तब मैरी रामू काका और विनीत की गिरफ्तारी सहित अनेक बातों के बारे में चर्चा कर रही थी। ''मैं खुशनसीब हूं कि मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुई'', मैरी ने कहा। ''क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि पुरुष पुलिस अधिकारी तुम्हारी पूरे शरीर की तलाशी ले रहे हो या तुम्हें ऐसे हवालात में रखा गया है जहां सिर्फ पुरुष बंद हैं।'' ''लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती'', मैरी। **''गिरफ्तार की गयी महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षोपाय हैं।''** नीता ने कहा।

''वास्तव में नीता, मुझे यह नहीं मालूम था और मैं नहीं समझती हूं कि कमला

नगर की मेरी किसी भी महिला दोस्त को यह मालूम होगा।'' मैरी ने आगे पूछा, ''महिलाओं के लिए ये विशेष सुरक्षोपाय क्या हैं?''

''ये विशेष उपबंध है जिसमें किसी महिला की तलाशी केवल महिला अधिकारी ही ले सकती है और वह भी उसकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए पूरे मर्यादित तरीके से'', नीता ने कहा। **''साथ ही महिला संदिग्धों को पुरुष संदिग्धों के साथ हिरासत में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें एक अलग हिरासत में रखा जाना चाहिए।''** ''लेकिन कमला नगर के थाने में महिलाओं के लिए अलग हिरासत नहीं है।'' मैरी ने कहा।

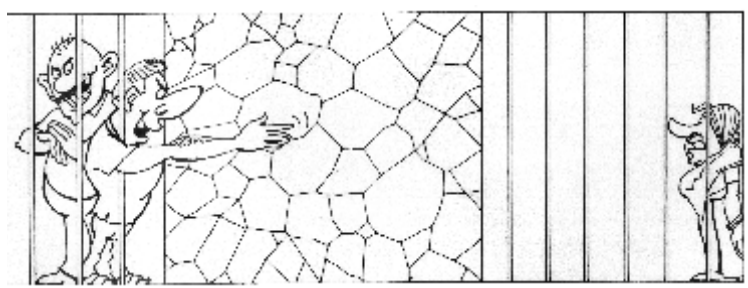

पुरुषों और महिलाओं के लिए
अलग–अलग हाजत अनिवार्य है

''यदि मूल थाने में महिला हिरासत न हो तो महिला संदिग्धों को ऐसे नजदीकी थाने में स्थानांतरित किया जाता है जिसमें महिला हिरासत हो'', नीता ने कहा।

''ये अच्छे सुरक्षोपाय है लेकिन फिर भी मैं बहुत डर जाऊंगी यदि गिरफ्तार हुई। सोचो अकेले होना और उन सभी प्रश्नों के जवाब देना जो पुलिस आप पर

दागे। हमें यह नहीं मालूम कि हमारे अधिकार क्या हैं और क्या नहीं है। और किस प्रकार पुलिस के बातों का जवाब दें या यह भी नहीं मालूम कि प्रक्रिया क्या है?'' मैरी ने कहा। ''जब पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो जरूरी नहीं तुम अकेले रहो। **किसी महिला को पूछताछ के लिए थाने नहीं ले जाया जा सकता। पूछताछ सिर्फ उसके घर पर और उसके रिश्तेदारों की उपस्थिति में ही की जा सकती है'',** नीता ने बताया। ''साथ ही चूंकि लोगों को गिरफ्तारी के बारे में अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है **प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बात करने का अधिकार है और यदि वह व्यक्ति निर्धन है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान इस वकील से सलाह ले सकता है लेकिन पूरी पूछताछ की अवधि के दौरान नहीं'',** नीता ने बताया। ''ओहो! मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं थी'', मैरी ने कहा।

''यहां कानून एक बार फिर सहायता के लिए आगे आता है'', नीता ने कहा। **''यदि किसी व्यक्ति को इस अधिकार की जानकारी नहीं होती है तो अदालत में पेश किए जाने पर मैजिस्ट्रेट उसे इसकी जानकारी देता है। पुलिस का भी यह कर्तव्य है कि वह नजदीकी विधिक सहायता कमिटी को तत्काल सूचना दे कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उनकी सेवा की आवश्यकता है।''** ''अब मैं समझ गयी। नीता ये सभी बातें मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यदि मुझे पुलिस से बात करनी हो तो मैं बेहतर रूप से तैयार हूं।''

अगले दिन नीता को विनीत का फोन आया, ''दीदी मैंने मैरी और इमरान और अनेक लोगों से बात की है। हम सोच रहे थे कि क्या तुम हमें उन मौलिक अधिकारों के बारे में बताओगी जो गिरफ्तारी के समय लोगों के पास उपलब्ध होती है?''

''यह एक अच्छा विचार है विनीत। क्या मैं आज शाम लोगों से बात करूं'', नीता ने पूछा। ''ठीक है दीदी, मैं सभी को आने के लिए कहूंगा'', विनीत ने उत्तर दिया और उसने तुरन्त फोन रख दिया ताकि सभी को इस बारे में बता सके।

नीता विधिक शिक्षा दे रही है

उस दिन शाम में नीता मैरी की दुकान पर गयी, जहां बाहर में सभी इक्ट्ठा हुए थे। ''सभी को नमस्कार! आज मैं तुम लोगों को उन अधिकारों के बारे में बताने जा रही हूं जो उस समय तुम्हारे पास उपलब्ध होते हैं जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करना या रोक कर रखना चाहती हो। क्यों न हम शुरूआत इस प्रकार करें कि तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो जो तुम्हारे मन में हो।''

विनीत ने अपना हाथ उठाया, ''कभी–कभी पुलिस हमें यह भी नहीं बताती कि वह हमें क्यों ले जा रही है और कभी–कभी वह कहती है कि यह सुरक्षा या ऐसी

बातों के लिए है जिसका हमसे कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस कहती हैं कि हमें गिरफ्तार करने या रोककर रखने के लिए उन्हें किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं है और हम उन्हें कुछ नहीं कह पाते हैं।'' ''ऐसी स्थिति में तुम्हें सुरक्षा का अधिकार है।'' नीता ने कहा, **''किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण अवश्य बताना चाहिए।''**

रघु उठा और कहा, ''नीता दीदी, कभी–कभी पुलिस गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट के पास काफी दिनों के बाद पेश करती है। इसका मतलब है कि लोगों को एक सप्ताह से अधिक दिन हिरासत में बिताने होते हैं। इस बारे में क्या किया जा सकता है?'' **''प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर नजदीकी मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इस समय सीमा में मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने में लगे यात्रा का समय शामिल नहीं है'',** नीता ने बताया। **''यदि गिरफ्तारी जमानतीय धारा के अंतर्गत की गयी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का भी अधिकार है। ऐसे मामले में पुलिस को तुम्हें अवश्य बताना चाहिए कि तुम्हें जमानत पर छूटने का अधिकार है'',** उसने कहा।

''नीता क्या तुम हमे उन कागजी कार्यवाही के बारे में बता सकती हो जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस को पूरी करनी होती है? कभी–कभी जब हम थाना जाते हैं तो पाते हैं कि डेस्क पुलिस कर्मी के पास वे फार्म उपलब्ध नहीं होते हैं जिसकी हमें मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने पर जरूरत होती है'' सुनीता ने कहा। ''ठीक है, शुरूआत इस प्रकार होती है, **गिरफ्तारी करने वाले पुलिस**

अधिकारी को गिरफ्तारी ज्ञापन अवश्य तैयार करनी चाहिए जिसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख उल्लिखित हो। इस ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर और उसके एक मित्र या परिजन या उस क्षेत्र के किसी सम्माननीय व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए'' नीता ने बताया। ''प्रत्येक गिरफ्तारी और व्यक्ति को रोक कर रखे गए स्थान का ब्यौरा गिरफ्तारी के बारह घंटे के अंदर राज्य और जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष को भेजा जाना चाहिए। इस ब्यौरे को नियंत्रण कक्ष की सूचना पट्टी पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।'' उसने आगे कहा, ''सभी कागजातों की प्रतियां स्थानीय क्षेत्र मैजिस्ट्रेट को रिकार्ड के लिए भेजी जाती है'' नीता ने कहा, ''और अंत में उस पुलिस अधिकारी का नाम जिसने गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की है, रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाना चाहिए'', नीता ने कहा।

''कुछ और भी बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नाम पट्टी पर अपनी सही–सही पहचान बताएं जो सुस्पष्ट हो और जिसमें उसका पदनाम उल्लिखित हो'',

पुलिस द्वारा हथकड़ी के उपयोग के पीछे शर्त है

नीता ने कहा।

''अगली बात मैं हथकड़ी के बारे में कहना चाहती हूं। हम फिल्म और टेलीविजन में देखते हैं कि पुलिस किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ पहला काम यह करती है कि उसे हथकड़ी लगाती है'', नीता ने कहा। ''हालांकि वास्तविक जीवन में कानून कहता है कि **गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। हालांकि सिर्फ दो अवसरों पर ही इसका अपवाद स्वरूप इस्तेमाल होता है। पहला यदि उस व्यक्ति के भाग जाने या भागने का प्रयास करने का स्पष्ट रूप से खतरा हो और दूसरा यदि वह आदमी उग्र हो जाता है और उसे सिर्फ हथकड़ी में ही ले जाया जा सकता है।''** उसकी बातें सुनकर लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गयी। ''हमें इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था'', फातिमा ने कहा। ''पुलिस गिरफ्तार व्यक्तियों को यदि वे स्वेच्छा से भी आते हैं और अच्छी तरह से भी पेश आते हैं तो भी उन्हें अक्सर हथकड़ी लगाती है। मैंने देखा है कि कभी–कभी पुलिस यूं ही आदेश देती है कि तुम लोग जीप में बैठो, क्योंकि तुम लोग 'गिरफ्तार' कर लिए गए हो। लेकिन तुम्हें यह अवश्य जाननी चाहिए कि **गिरफ्तारी के लिए पुलिस को उस व्यक्ति को वास्तव में पकड़ना चाहिए, वह सिर्फ तुम्हें आदेश नहीं दे सकती कि तुम साथ चलो।''**

''तुम्हें पुलिस को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि तुम्हें अपने अधिकारों की जानकारी है। हालांकि इस तरह के मामले में गुस्सा होने या उग्र होने का कोई कारण नहीं होता लेकिन तुम्हें पुलिस को वह सब कुछ नही करने देना चाहिए जो वह चाहती हो। उनके लिए भी कानून हैं'', नीता ने कहा। सारे लोग चर्चा में

व्यस्त थे कि दादाजी आए और उन्होंने नीता का कंधा थपथपाया। वह शांतिपूर्वक लोगों की बातें सुन रहे थे। इमरान ने दादाजी से कहा, ''अब हम समझ गए हमारे अधिकार क्या हैं और मुझे विश्वास है हम भविष्य में पुलिस को हमारे साथ दुर्व्यवहार करने से रोक सकेंगे।''

पुलिस द्वारा रखे गए सामानों के लिए रसीद जारी करना अनिवार्य है

दादाजी ने कहा, ''हमारी सुरक्षा के लिए जिन कानूनों के बारे में तुमने सुना उसके अलावा भी और कानून हैं। विनीत, जब पुलिस तुम्हें थाने ले गयी थी तो क्या उन्होंने तुम्हारी तलाशी ली थी।'' विनीत ने कहा, ''जी हां, दादाजी! हवलदार भान ने न सिर्फ मेरे पाकेट की तलाशी ली थी बल्कि मुझे मेरा सारा पैसा निकालने, घड़ी और अंगुठी उतारने और उन्हें एक रूमाल में रखने को कहा था। इसे बाद में ड्यूटी अधिकारी के कमरे के लॉकर में रख दिया गया।'' दादाजी ने कहा, ''देखो! यहां पुलिस को उन सभी सामानों की एक रसीद देनी चाहिए जो वह अपने पास रख रही है। इस प्रकार एक ओर तो विनीत को गैर–कानूनी रूप से रोककर रखा गया दूसरी ओर उसके सामान को भी गैर–कानूनी रूप से रखा गया।''

विनीत ने कहा, ''लेकिन दादाजी पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछे जाने

ओहो.....क्या कहते हैं उसे.....हां.....पूछताछ से संबंधित अधिकार क्या है?'' दादाजी ने कहा, ''हालांकि किसी व्यक्ति से पूछताछ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति से अनेको बार प्रश्न किए जा सकते हैं लेकिन पुलिस उन्हें न तो पीट सकती है या थप्पड़ मार सकती है या लात से मार सकती है और न ही प्रश्न पूछने के दौरान उसे हथकड़ी लगा सकती है या उसे बांध सकती है।'' दादाजी की बात सुनने वाले लोग भौचक्के हो गए। मैरी ने कहा, ''लेकिन दादाजी हम ये बातें फिल्मों में अक्सर क्यों देखते हैं?''

दादाजी ने कहा, ''जो कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है वह गलत चित्रण है क्योकि कानून कहता है कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। **प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि उस पर उससे अधिक दबाव न दिया जाए जितना उसे भागने से रोकने के लिए अनिवार्य हो। कानून यह भी कहता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसे 48 घंटे या दो दिनों से अधिक रोककर रखा गया हो, की रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। डॉक्टर को उन सभी जख्मों या परिस्थितियों को रिकार्ड करना होता है जिसका जांच किए जा रहे व्यक्ति ने सामना किया हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि तुम लोगों में से किसी व्यक्ति को थाने में पीटा गया हो या थप्पड़ मारा गया हो या किसी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया हो तो इसका रिकार्ड हो जाएगा। साथ ही पुलिस हिरासत में रखा गया व्यक्ति प्रत्येक 48 घंटे में चिकित्सा जांच की मांग कर सकता है।''**

नीता ने पूछा, ''दादाजी क्या यह सच है कि जांच करने वाले डॉक्टर द्वारा

एक **'जांच नोट'** तैयार किया जाता है?'' ''हां'', दादाजी ने कहा, ''वास्तव में **इस ज्ञापन** पर गिरफ्तार व्यक्ति के किसी परिजन या मित्र का या समाज के किसी सम्मानीय व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए, साथ ही इस पर गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। गिरफ्तारी ज्ञापन पर गिरफ्तारी की तारीख और समय उल्लिखित होने चाहिए।'' विनीत ने कहा, **''यह बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे उन गलत तरीकों का पता लगाने में सहायता मिलेगी जो कोई पुलिस अधिकारी अपनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कानून क्या हैं क्योंकि यह हमारी आजादी का जरिया है।''**

दादाजी ने कहा, **''चिकित्सा जांच का दूसरा लाभ यह भी है कि इससे गिरफ्तारी के कारणों को गलत सिद्ध करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए यदि रामू काका चिकित्सा जांच द्वारा यह सिद्ध कर देते कि पैर में पुराने जख्म के कारण चोरी करने के लिए दीवार पर चढ़कर घर के छत पर पहुंचना उनके लिए असंभव था, तो उन्हें छोड़ दिया जाता।''**

नीता ने कहा, ''दादाजी हमें और हमारे प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए ताकि हमें इंस्पेक्टर खान और हवलदार भान जैसे पुलिसकर्मियों के साथ बेहतर सम्पर्क बनाने में सहायता हो।''

इस **पुलिस और आप : अपने अधिकारों को जाने** श्रृंखला में निम्नलिखित पुस्तिका शामिल है :

- प्रथम सूचना
- गिरफ्तारी और रोक
- पुलिस पूछताछ
- विधिक सहायता सेवा
- अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार अधिनियम
- जमानत
- मौलिक अधिकार

गृह मंत्रालय
मानवाधिकार विभाग
भारत सरकार